# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 28/2018

वाद–पत्र दायरी दिनांक : 06/04/2018

निर्णय दिनांक : 21/01/2019

मोहनलाल पुत्र मीठु, जाति माली, निवासी साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– वादी

बनाम

1. कमलादेवी पुत्री स्व0 मीठु पत्नी स्व0 मोती, जाति माली, निवासी साखून हाल आबाद मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

## वाद बाबत घोषणात्मक

(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0)

उपस्थिति – *श्री के.एल.माली*
*एडवोकेट*
*वकील वादी*
*श्री ओमप्रकाश तंवर*
*एडवोकेट*
*प्रतिवादीया संख्या 1*
*प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।*

## –: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 21/01/2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणात्मक खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 289 के आराजी खसरा नम्बर 442, 444, 445 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 291 के आराजी खसरा नम्बर 443 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खाता संख्या 378 के आराजी खसरा नम्बर 623, 625, 627, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 643, 1254, 1255, 1256, 1334, 1335, 3048 कुल किता 16 कुल रकबा 1.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या 390 के आराजी खसरा नम्बर 1336, 1337, 1338, 3049, 3051, 3060, 3061, 3062, 3063 कुल किता 09 कुल रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

0900 हैक्टेयर, खाता सख्या 391 के आराजी खसरा नम्बर 626, 628, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3057 कुल किता 11 कुल रकबा 1.3700 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 मीठू पुत्र हरदेव के नाम से मुताबिक जमाबन्दी में हिस्से अनुसार दर्ज चली आ रही है उक्त आराजीयात पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से हिस्सा बराबर अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 मीठू पुत्र हरदेव जिनके कोई पुत्र नही था एवं एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म होने के उपरान्त किसी पुत्र नही होने की अवस्था मे अपने छोटे भाई बालू के पुत्र वादी को अपने बाल्यकाल में ही अपने पास रखकर पुत्र समान समस्त अधिकार प्रदान कर दिये थे तथा वादी भी एक पुत्र के रूप में समस्त उत्तरदायित्वो का निर्वहन करता आ रहा है तथा समस्त सरकारी एवं गैरसरकारी दस्तावेजात में भी वादी का नाम मोहनलाल पुत्र मीठु ही दर्ज चला आ रहा हैं। वादी के द्वारा उक्त आराजीयात के अपने पिता स्व0 मीठू की फौती विरासत नामांतरकरण हेतु पटवार हल्का से जमाबन्दी प्राप्त करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु कहा गया तो पटवार हल्का के पास कोई कार्यवाही नही किये जाने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 सगी बहिन है तथा उक्त आराजीयात पर बराबर की खातेदार है, उसके नाम भी नामान्तरकरण राजस्व कारकुनानों द्वारा नही खोला गया एवं दिनांक 25/03/2018 को साफ इन्कार कर दिया इसलिये उक्त वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 डिक्री किया जाकर घोषणा खातेदारी इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित स्व0 मीठु की आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार तहसील दूदू को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 14.05.2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साखून में पेश हुयी। कैम्प में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील वादी

Scanned by CamScanner

ने साक्ष्य गवाहान पेश किये। कैम्प में समय कम होने से बहस सुनी नही जाकर पत्रावली नियमित न्यायालय में पेश हुयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी खतौनी संख्या 289, 291, 378, 379, 390, 391, सजरा प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत, मृत्यु प्रमाण–पत्र मीठू का, मृत्यु प्रमाण–पत्र भूरीदेवी, आधारकार्ड मोहनलाल माली एवं पहचान–पत्र एवं बैंक डायरी की फोटो प्रति, राशनकार्ड की फोटो प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि है कि विवादित आराजी वर्तमान में मीठू पुत्र हरदेव के नाम से दर्ज हैं। मुताबिक ग्राम पंचायत साखून के सिजरा प्रमाण–पत्र के अनुसार मिठू पुत्र हरदेव के कमलादेवी पुत्री एवं वादी मोहनलाल दत्तक पुत्र हैं। वादी ने दत्तक पुत्र की हैसियत से विवादित आराजी में 1/2 हिस्सा बाबत वाद पेश किया हैं। ग्राम पंचायत के सिजरे के अनुसार वादी स्व0 मीठू का पुत्र होना साबित होता है तथा प्रतिवादीया संख्या 1 कमलादेवी ने भी राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है एवं वाद डिक्री किये जाने मे किसी प्रकार का ऐतराज नही जताया हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बरूये राजीनामा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 289 के आराजी खसरा नम्बर 442, 444, 445 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 291 के आराजी खसरा नम्बर 443 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खाता संख्या 378 के आराजी खसरा नम्बर 623, 625, 627, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 643, 1254, 1255, 1256, 1334, 1335, 3048 कुल किता 16 कुल रकबा 1.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या 390 के आराजी खसरा नम्बर 1336, 1337, 1338, 3049, 3051, 3060, 3061, 3062, 3063 कुल किता 09 कुल रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खाता संख्या 391 के आराजी खसरा नम्बर 626, 628, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043,

उपखण्ड अधिकारी
चूरू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

3044, 3045, 3046, 3057 कुल किता 11 कुल रकबा 1.3700 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर–बराबर अर्थात 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21/1/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते दूदू मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम दूदू

ब इजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर. ए. एस.)

नाम ① कमला देवी D/O स्व. मीठु पत्नी स्व. मोहन लाल S/O मीठु, जाति माली निवासी सावरदा तहसील दूदू जिला-जयपुर ① निवासी सावरदा, तहसील दूदू, जिला-जयपुर

दावा बावत वाद घोषणात्मक जाति माली निवासी सावरदा हाल आबाद मौजमाबाद, जिला जयपुर

मुकदमा न. 28 सन 2018 ② तहसीलदार तहसील मौजमाबाद

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री के. एल. माली

ब हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री ओमप्रकाश तेवर पैरोकार सरकार

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

अतः वादी का वाद बरूये राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 289 की आराजी खसरा नम्बर 442, 444, 445 कुल किता 03 कुल रकबा 1.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 291 की आराजी ख. नं. 443 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खाता संख्या 378 की आराजी खसरा नं. 623, 625,

निज 627, 629, 630, 631, 636, 640, 641, 643, 1254, 1255, 1256, 1324, 1335, 3048, कुल किता 16 कुल रकबा 1.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 637 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खाता संख्या 390 की आराजी खसरा नम्बर

खर्चा इस मुकद्दमे के गय सूद बशरह ... फीसदी ... का अदा करें।

तारीख अदायगी तक

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 माह 01 सन 2019 को

जारी की गई।

मुहर

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी दूदू जयपुर)

दस्तखत [हस्ताक्षर]

ओहदा उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुद्दायलह | रुपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्ताना वकील | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner